न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 05 / 2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017 / 00001

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दूदाराम पुत्र हरनाथ जाति जणवा चौधरी निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)		1. सरपंच, ग्राम पंचायत घाणेराव, जिला पाली (राजस्थान) 2. दौलाराम पुत्र हरनाथ जी जाति जणवा चौधरी निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)

<u>पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994</u>

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गहलोत
अप्रार्थी की ओर से श्री हरजीराम जी

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 9/4/21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा मिसल संख्या 94 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2013 एवं संकल्प संख्या 11 / 05.04.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 05.04.2013 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत का रेकर्ड एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पट्टे बाबत वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी किसी को भी प्रस्तुत करने का अधिकार है यहां तक कि न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से भी संज्ञान लिया जाकर पट्टे बाबत सुनवाई की जा सकती है ऐसे में प्राथमिक आपति में दूदाराम पुत्र हरनाथ नाम अंकित हो अथवा दूदाराम पुत्र गमनाराम इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए प्राथमिक आपत्ति आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

वकील प्रार्थी द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि जिस भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है उक्त भूमी पर अप्रार्थी संख्या 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा न आज भी है। उक्त भूमी पुश्तैनी है। तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की पैतृक भूमी है जिस पर प्रार्थी का कब्जा है वह उक्त आराजी पर कई वर्षों से काबिज है। फिर भी ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा अप्रार्थी के हक में प्रस्ताव जारी कर पट्टा भी जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी स्वयं वार्ड पंच था। वह अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पट्टा जारी नहीं करवा सकता है एवं ऐसा करवाता है तो प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 ने वार्ड पंच रहते जारी कराया है जो निरस्तनीय है प्रार्थी ने 45 वर्ष पुराना कब्जा बताया है जबकि पंचायती राज नियमों के अनुसार 50 वर्षों से अधिक पुराना मकान निर्मित नहीं होने से पट्टा निरस्तनीय है। प्रार्थी के आवेदन में पट्टे के पड़ोस में भिन्नता है कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया उसमें अलग पड़ोस बताए गए है किस भूमी का ग्राम सचिव द्वारा नक्शा बनाया गया वह स्पष्ट नहीं है इससे सिद्ध होता है कि बिना मौका निरीक्षक के समस्त कार्यवाही बंद कमरे में की गई है [illegible] प्रार्थी को फायदा पहुंचाने के लिए समस्त कार्यवाही की गई है। [illegible] के [illegible] नक्शा पर हस्ताक्षर नही है। आपति इश्तिहार की चस्पा किया [illegible] पर मौतबिरान के हस्ताक्षर पूर्ण नहीं है। मौतबिरान कहा के है स्पष्ट नहीं है। आबादी भूमी बा[illegible]ई प्रमाण साथ संलग्न नहीं है निरीक्षण कमेटी द्वारा क्षेत्रफल नहीं दर्शाया गया है। गवाहों के बयान टाईप किए हुए है बयान नहीं लिया जाकर रिक्त स्थान भरे गए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:28:34 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी ने पुराने पुस्तैनी रहवासीय मकान का प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है तो पुश्तैनी मकान होने से हरनाथ जी के वारिसान की जांच कर उनके नाम पट्टा नहीं बनाया गया है। मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ही पट्टा बनाया गया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थी को पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि के विक्रय बाबत अस्थाई निर्णय नहीं लिया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अप्रार्थी के हक में जारी जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी पट्टा जारी होने के 4.5 वर्ष बाद पेश की गई है तथा विलम्ब का न्यायोचित कारण नहीं बताया हे इसलिए निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी की लिखित बहस अनुसार ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में नियमों की पूर्ण रूप से पालना कर पुश्तैनी मकान होने से अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी किया गया है प्रार्थी ने अपने पिता का नाम हरनाथ बताया है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों सगे भाई हरनाथ के पुत्र है लेकिन 1993 में जाति समाज में हमारे पिता हरनाथजी द्वारा अप्रार्थी दौलाराम को गमनाराम के गोद दे दिया था तथा सम्पति का बंटवाड़ा कर दिया था। प्रार्थी के हक में अप्रार्थी के जैर निगरानी मकान के पास ही हरनाथ का मकान था उसे प्रार्थी गोद पुत्र होने से उसे दिया गया था जिसमें प्रार्थी आज भी काबिज है तथा उसके पास ही प्रार्थी का जैर निगरानी पुश्तैनी मकान है जिसका पट्टा जारी पंचायत घाणेराव द्वारा किया गया है बंटवाड़ा की प्रति पत्रावली संलग्न है अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में पेश किया गया था। जिसके आधार पर मिसल कायम की गई एवं तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया। जैर निगरानी आराजी का मौका तीन वार्ड पंचों द्वारा देखा गया एवं मौका रिपोर्ट पेश की गई जो पत्रावली संलग्न है सचिव द्वारा आराजी का नक्शा बनाया गया। उसके नाप भी दर्ज है। पट्टा जारी करने से पूर्व एक माह का आपत्ती इश्तिहार भी जारी किया गया एवं नियमानुसार चौराहें पर चस्पा किया गया है जिस पर मौतबिरान के हस्ताक्षर भी है। मिसल की प्रत्येक आदेशिका दिनांक 06.02.2013, 20.02.2013, 21.03.2013 प्रस्ताव संख्या 02,03,05, एवं 11 उसी दिनाँक को लिए जाकर दर्ज की गई है। जैर निगरानी पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया गया जिसके अनुसार 50 वर्षों से अधिक वर्षों का कब्जा होने पर 100/– रूपये वसूलने का प्रावधान है इस प्रकरण में 50 वर्षों से कम समय का कब्जा होने पर 200/– रूपये वसूल कर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। प्रार्थी अपने प्राकृतिक पिता हरनाथ की सम्पति एवं गोद गए पिता श्री गमनाराम दोनों की सम्पति नहीं ले सकता है क्योंकि गमनाराम का गोदी पुत्र होने से हमारे पिता द्वारा उनके जीते जी ही बंटवाड़ा कर दिया गया था। उसी अनुरूप काबिज होने से जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है पत्रावली में दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए हुए है तथा नियमानुसार वसूली योग्य राशि की रसीद काट कर ही पट्टा जारी किया गया है इसलिए जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाने के आदेश फरमावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गयां इस निगरानी के निर्णयार्थ निम्न विचारणीय बिन्दु है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:28:34 IST
Reason: SelfAttested

1. पट्टा पुश्तैनी [illegible] अन्दर पट्टा जारी किया गया अथवा नहीं।
2. नियमानुसार कार्यवाही कर प्रक्रिया की पालना की गई अथवा नहीं।

क्रमश....................3

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी पट्टा आराजी अप्रार्थी के अपने पिता द्वारा किए गए बंटवाड़े के अनुसार हरनाथ के हिस्से का मकान उसके बंट में आने से उसका पट्टा बनवाया गया जो पुश्तैनी मकान है। तथा प्रार्थी को गमनाराम के हिस्से का मकान आने से अप्रार्थी के मकान के पास ही उसका पड़ोस में मकान बना हुआ है जो पट्टे में अंकित पड़ोस से स्पष्ट है। उक्त जैर निगरानी पट्टा आराजी का नाप 1461.50 वर्गफुट है जो 300 वर्गगज से कम है। नियम 157(ख) के तहत सीमा 300 वर्गगज है। अर्थात पट्टा नियमानुसार नाप सीमा में जारी किया गया है जो विधीसम्मत है। प्रार्थी के हक में बंटवाड़े से प्राप्त उक्त मकान पर उसके पिता के समय से मकान बना हुआ है तथा 50 वर्षों से अधिक समय का नहीं भी हुआ है तो ग्राम पंचायत द्वारा 200/– रूपये भी वसूली की गई है जो 50 वर्षों से कम समय का मकान विनियमितीकरण करते समय वसूल की जाती है इस प्रकार राजस्थान पंचायत राज नियम 157(ख) के नियमानुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया है जो विधीसम्मत हें इस प्रकार जैर निगरानी भूमी पुश्तैनी होना स्पष्ट है तथा 300 वर्गगज से कम है तथा 200/– रूपये राशि वसूल कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी इस बिन्दु को साबित करने मे सफल नहीं रहा है।

अप्रार्थी द्वारा पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मिसल कायम कर उसमें नियमानुसार प्रस्ताव लिया जाकर आदेशिकाए पारित कर तीन वार्ड पंचों की कमेटी नियुक्त कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आराजी का नक्शा सचिव द्वारा बनाया जाकर एक माह का आपति इश्तिहार जारी कर तथा दो गवाहों के बयान लिए जाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी आराजी का जारी किया गया जो विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। तथा ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा मिसल संख्या 94/2012–2013 की आदेशिका दिनांक 05.04.2013 एवं प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 05.04.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 05.04.2013 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9/4/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:28:34 IST
Reason: SelfAttested